न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 36/2006 (2006/00015) बाजदायर दिनांक 25.02.2006
वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. भंवरसिंह वल्द लक्ष्मण सिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. शंभु सिंह वल्द लक्ष्मण सिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. रतनसिंह पिता मंगला भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकामः—
   1/1. रामसिंह पिता रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/2. महेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/3. नरेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   उक्त वारिसान का वकील प्रतिवादी के आवेदन के अनुसार वर्तमान पता सेठिया फुड्स बीछवास, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राजस्थान है।
   1/4. श्रीमती गीता देवी पत्नि रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल कालाजी बावजी का मौहल्ला कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
   1/5. श्रीमती हेमा कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नि पर्वतसिंह सोलंकी निवासी करेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितिः— अधिवक्ता वादीगण :- श्री एस0एल0 बापना
अधिवक्ता प्रतिवादी ... श्री मनीष दाधीच
... सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

दिनांक 12.02.2021

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54,92, 188 आर0टी0एक्ट का प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 12.10. 1990 को पेश किया जिसे मुकदमा नं0 106 / 1990 उनवान भंवरसिंह भाटी वगै0 बनाम रतनसिंह भाटी वगै0 दर्ज किया गया। जिस पर वादीगण ने प्रार्थना कि की बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम कोशीथल की खाता संख्या 984 में वादीगण का 1 / 2 हिस्सा है शेष 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक का है। एवं बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 01 बंटवाड़ा की डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादपत्र की ग्राम कोशीथल की खाता संख्या 984, 952 का हक व हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार ग्राम कोशीथल की खाता संख्या 951 में अंकित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार से दखलअंदाजी नहीं करें व न अन्य से करवाने बाबत् निवेदन किया । उक्तानुसार वादपत्र पर नियमानुसार सुनवाई की जाकर दिनांक 23.12.1998 को वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54,92, 188 आर0टी0एक्ट तनकियात का निर्णय के आधार पर खारिज योग्य होने से खारिज किया गया।

उक्तानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के यंहा अपील की गई विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण अपना द्वारा अपना कब्जा साबित नहीं कर पाने एवं न ही कब्जे बाबत् कोई शहादत, एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की एवं न कोई खण्डन प्रस्तुत किया जिससे अपीलार्थीगण के कथन को बल मिलता हो । उक्त विवेचन के आधार पर माननीय न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थीगण की अपील दिनांक 31.03.2000 को खारिज कर दी गई। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.1998 को यथावत रखा गया।

वादीगण द्वारा उक्तानुसार दोनों न्यायालयों के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यंहा द्वितीय अपील की गई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2005 को निर्णय पारित कर भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2000 व उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.98 को निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को रिमाण्ड कर निर्देश दिये गये कि राजस्व रेकार्ड एवं उपलब्ध शहादत सबूत का परीक्षण कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर स्पष्ट एवं विस्तृत निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchal
Date: 2021.02.18 13:42:14 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

जिस पर प्रकरण वाजदायर 36/2006 (2006/00015) दिनांक 25.02.2006 को किया जाकर उभयपक्ष को सूचित किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(ए),2,3 व 151 जा0दी0 का पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेज को रेकार्ड पर लिवाये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 10.12.2013 को वादीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को खारिज हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(ए),2,3 व 151 जा0दी0 को स्वीकार किया गया व प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश –22 नियम –4 स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल को रेकार्ड लिया गया व प्रतिवादी सं0 1 के कायम मु0 1/1 से 1/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में तनकीवार विस्तृत विवेचन किया जाकर निवेदन किया कि आराजी संख्या 2603/1020 कि 7 बीघा होकर वादीगण के पक्ष में आवंटित हुई है। आराजी संख्या 1784/1 रकबा 13 बिस्वा आराजी संख्या 1207 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व अराजी संख्या 1206 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा में वादीगण का 1/2 हिस्सा है एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। जिसके आराजी संख्या 107 नाथू सिंह पुत्र बरदीसिंह राजपूत देलवाड़ा वाले को विक्रय कर दी जो प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में ही रहेगी। इस प्रकार आराजी संख्या 2603/1020 रकबा 7 बीघा तनहा वादीगण के आराजी संख्या 1784/1 रकबा 13 बिस्वा व 1026 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 23 बिस्वा में 1/2 हिस्सा वादीगण का व शेष आधा हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 का है। अतः उक्तानुसार वाद डिक्री फरमा दिया जावें।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस बताया गया कि नवीन जमाबंदी का अवलोकन करवाना फरमावें। वादी द्वारा चाही गई रिलिफ जमाबंदी में पूर्व में ही दर्ज रेकार्ड है । नामान्तरकरण अपील माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर में वादीगण के विपरीत निर्णित होकर रिमाण्ड की गई है। वादीगण द्वारा बहनों एवं मां को भी पक्षकार नहीं बनाया गया हैं।

वादीगण के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना जाने के बाद उक्तानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता हैं कि वादीगण द्वारा चाही गई रिलिफ नवीन जमाबंदी में पूर्व में ही दर्ज रेकार्ड है। तथा वादीगण द्वारा बहनों एवं मां को भी पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण का वादपत्र साक्ष्यों, दस्तावेज एवं पक्षकार के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझतता है अतएवं:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश ::

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54,92, 188 आर0टी0एक्ट का साक्ष्यों, दस्तावेज एवं पक्षकार के अभाव में पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (जिला) भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर, पदेन
(विकास पंचोली) 3.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 36/2006 (2006/00015) दायर दिनांक 25.02.2006

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. भंवरसिंह वल्द लक्ष्मण सिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. शंभु सिंह वल्द लक्ष्मण सिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. रतनसिंह पिता गंगला भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकाम:–

   1/1. रामसिंह पिता रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

   1/2. महेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

   1/3. नरेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

   उक्त वारिसान का वकील प्रतिवादी के आवेदन के अनुसार वर्तमान पता सेठिया फुड्स बीछवाल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राजस्थान है।

   1/4. श्रीमती गीता देवी पत्नि रतनसिंह भाटी निवासी कोशीथल कालाजी बावजी का मौहल्ला कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

   1/5. श्रीमती हेमा कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नि पर्वतसिंह सोलंकी निवासी करेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एल0बापना एडवोकेट, पेरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे –––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर –––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित –––––×–––––– द्वारा –––––×–––––– को दी जाए।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54,92, 188 आर0टी0एक्ट का साक्ष्यों, दस्तावेज एवं पक्षकार ... खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर ... न्यायालय की ... गयी।

(उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा